

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 200.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 2, 3, 4, 5 एवं 6

केन्द्रीय लेखा प्रबंधन प्रकोष्ठ (Central Accounting Unit) के गठन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 500 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।